

जन सूचना

हम हमारे क्लाइंट नेशनल स्किल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसडीसी) की ओर से काम करते हैं। आम जनता को सूचना दी जाती है कि एनएसडीसी कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार की सर्वोक्तुष्ट परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई/योजना) के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। योजना द्वारा चौबीस लाख युवाओं को उनके द्वारा स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं (प्रशिक्षण सहभागी) से योग्य क्षेत्रों में कौशल विकास पाठ्यक्रम पूरा करने और आकलन करने वाली स्वीकृत एजेंसियों द्वारा मूल्यांकित और सफल घोषित होने के बाद मौद्रिक पुरस्कार देने का इरादा है। प्रत्येक सफल उम्मीदवार को दिया जाने वाला मौद्रिक पुरस्कार किसी भी प्रशिक्षण सहभागी के साथ शुरू किए गए केवल एक पाठ्यक्रम के लिए दिया जाएगा और यह मौद्रिक पुरस्कार उनके नियत बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। पीएमकेवीवाई एक मुफ्त प्रशिक्षण योजना नहीं है, बल्कि, इसके द्वारा बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण को सस्ता बनाया गया है; प्रशिक्षण सहभागी अपने विवेकाधिकार पर प्रशिक्षार्थियों को क्रेडिट प्रदान कर सकते हैं।

पीएमकेवीवाई की वेबसाइट - www.pmkvyofficial.org पर स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों और पाठ्यक्रमों का विवरण उपलब्ध है। पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार 088000-55555 पर एक मिर्ड कॉल भी दे सकते हैं।

यह भी ध्यान में रखें कि एनएसडीसी और प्रशिक्षण सहभागी, यानि, स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र उपरोक्त कौशल प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए निम्न डिवाइस मार्क का उपयोग और प्रचार कर रहे हैं।

कॉफीराइट अधिनियम और ट्रेड मार्क अधिनियम दोनों के तहत योग्य प्राधिकरणों के समक्ष एनएसडीसी के पास पंजीकरण लंबित आवेदन अभी भी कायम हैं।

एनएसडीसी के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ अनाधिकृत और अनैतिक लोग उपरोक्त या समान डिवाइस मार्क का झूठा उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और/या एनएसडीसी के नाम/लोगो का उपयोग उनके व्यवसायों के संदर्भ में कर रहे हैं और जनता के भोले भाले और अनभिज्ञ सदस्यों को भटकाने और धोखा देने के दुर्भावनापूर्ण और कपटी इरादे के साथ गलत वर्णन कर रहे हैं कि वे पीएमकेवीवाई एक कौशल प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन करने के लिए प्रशिक्षण सहभागी हैं।

आम जनता को एतद द्वारा ऐसे अनाधिकृत और अनैतिक लोगों के विरुद्ध खबरदार किया जाता है जो इस योजना के तहत प्रशिक्षण सहभागी होने का दावा करते हैं और सलाह दी जाती है कि प्रशिक्षण सहभागी होने के दावे की वैधता की पुष्टि के लिए पीएमकेवीवाई की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी की जांच करें। एनएसडीसी उन अनभिज्ञ उम्मीदवारों के प्रति जवाबदेह नहीं होगी जो प्रशिक्षण सहभागी होने का दावा करने वाले अनाधिकृत और अनैतिक लोगों के साथ नामांकन करते हों या प्रशिक्षण लेते हों बिना ऐसे प्रशिक्षण प्रदाताओं के दावों की सच्चाई की पुष्टि किए।

ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दीवानी / अपराध का गंभीर मुकदमा दर्ज किया जाएगा जो गलत वर्णन करते हों कि वह हपीएमकेवीवाई कौशल प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण सहभागी है और इस काम का खर्चा, जोखिम और परिणाम उस संस्था को केवल भुगतने पड़ेंगे।

जनता से यह भी अनुरोध है कि वे एनएसडीसी को ऐसे अनाधिकृत और अनैतिक व्यक्तियों की सूचना दें जो बिना अधिकार प्रशिक्षण सहभागी होने का दावा करते हों। ऐसा करने से एनएसडीसी को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कदम उठाने में मदद मिलेगी जो ना केवल एनएसडीसी को नुकसान और क्षति पहुंचा रहे हों, बल्कि भोली भाली जनता को हानी पहुंचाने का काम करते हों।